

फर्द अहकाम



अमोलक सिंह कैम्बो बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी,
 (उपखण्ड अधिकारी) सांगानेर
 आर.टी.आई. अपील संख्या 05/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
04.09.2018	<p>पत्रावली पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस प्रार्थी एवं रेस्पोंड जारी हो। टिप्पणी रेस्पोंड तलब होकर पत्रावली दिनांक 18.09.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">अति. कलेक्टर (द्वितीय) जयपुर</p>	<p>2249-50 05-9-18</p>
18-9-18	<p>पत्रावली पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस प्रार्थी एवं रेस्पोंड जारी होकर दिनांक 26.9.18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अति. कलेक्टर (द्वितीय) जयपुर</p>	
26.9.18	<p>पत्रावली पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस प्रार्थी एवं रेस्पोंड जारी होकर दिनांक 15-10-2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अति. कलेक्टर (द्वितीय) जयपुर</p>	
15-10-18	<p>पत्रावली पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 14-10-18 को प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन दिनांक 18-9-18 शामिल मिलान रहे। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर (द्वितीय) से प्राप्त टिप्पणी कांक 2508 दि. 12-9-2018 शामिल मिलान है।</p> <p>पत्रावली दिनांक 22-10-18 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अति. कलेक्टर (द्वितीय) जयपुर</p>	

फर्द अहकाम

अमोलक सिंह कैम्बो बनाम
आर.टी.आई. अपील संख्या 05/2018

राज्य लोक सूचना अधिकारी,
(उपखण्ड अधिकारी) सांगानेर

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
22-12-18	<p>पत्रावली भेज देते हैं उपस्थित नहीं है। पत्रावली का अलोकक किया जा जा/अपीलाइट के अर्जन प्रतिवेदन से अंकित किया है कि उपरोक्त द्वारा पायी गई सूचना में राज्य लोक सूचना अधिकारी उप खण्ड अधिकारी, सांगानेर के अर्ज संख्या RTI/F-17/2018/2020 दिनांक 17-11-18 से अंकित संलग्नकों की प्रतियां प्राप्त नहीं हुई हैं। पत्रावली के अर्ज को संलग्न उपलब्ध नहीं है। जिससे अपीलाइट द्वारा अंकित तथ्यों का खण्डन होता है। अतः अपील अपीलाइट कांशिक रूप से स्वीकार करे जाती है। राज्य लोक सूचना अधिकारी उप खण्ड अधिकारी, सांगानेर को निर्देश दिए जाते हैं कि अपीलाइट द्वारा पायी गई सूचना संख्या 568 दिनांक 20-2-18 एवं अपीलाइट, सांगानेर के अंतर्गत सिफ्ट के प्रस्तावित प्रतियां नियुक्त 10 दिनों में अपीलाइट को जारी की जाए उपरोक्त उपलब्ध कराना निर्णय हुआ।</p>	<p style="text-align: right;">  25-10-19 06-11-18 </p>
	<p>  22/10/18 अति. कमिश्नर (दिनांक) जयपुर </p>	